भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 125.*

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू व कश्मीर में आप्रवासियों की समस्याएं

†*125. श्री अश्विनी कुमार:
श्री हरीश मीणाः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से आकर 1947 से जम्मू व कश्मीर में बसने वाले आप्रवासियों ने हाल ही में प्रधान मंत्री को अपनी समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उनकी मांग क्या है;
(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या उक्त आप्रवासियों को मतदान करने तथा शिक्षा प्राप्त करने जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है; और
(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ड़) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 02.12.2014 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 125 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): पाकिस्तान से आए और वर्ष 1947 से जम्मू व कश्मीर में बसे आप्रवासियों ने प्रधान मंत्री को अभी हाल में, कोई भी ज्ञापन नहीं दिया है।

तथापि, श्री सैफुद्दीन सोज़, अध्यक्ष, जम्मू एवं कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दिनांक 22.08.2012 का एक ज्ञापन प्रधान मंत्री कार्यालय से दिनांक 27.08.2012 को प्राप्त हुआ था।

ज्ञापन में, वर्ष 1947 में प्रवासित हुए और जम्मू व कश्मीर राज्य में आकर बस गए पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं:-

(i) उन्हें सम्पत्ति का अधिकार नहीं है क्योंकि वे राज्य की प्रजा नहीं हैं।

(ii) जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार ने इन सभी परिवारों को एक बार बसाने के लिए राहत सहायता के रुप में 15 लाख रुपए प्रति परिवार की एक-बारगी सहायता प्रदान करने की सिफारिश की है। इसे इन सभी परिवारों को एक बार बसाने के लिए राहत सहायता के रुप में माने जाने की जरुरत है।

(iii) उनके बच्चों को राज्य सरकार की सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उनके बच्चों के लिए केन्द्रीय सेवाओं एवं अर्ध सैनिक बलों में नौकरी के अवसरों का सृजन किया जाना आवश्यक है।

(iv) उनके बच्चों के लिए आसान ऋणों की मंजूरी तथा कौशल विकास योजनाएं शुरु किए जाने की आवश्यकता है।

जम्मू व कश्मीर राज्य में आकार बसे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी जम्मू एवं कश्मीर के संविधान के अनुसार, राज्य की प्रजा नहीं है। इस प्रकार, उन्हें राज्य में जमीन एवं मकान जैसी अचल सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। वे भारत के नागरिक हैं और उन्हें संसदीय चुनावों में वोट देने का अधिकार है, परन्तु उन्हें राज्य विधान सभा और स्थानीय निकायों में वोट देने का अधिकार नहीं है। इस मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर में आकर बसे इन पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान किए जाने पर विचार करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से अनुरोध किया है। यह मुद्दा राज्य के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य मंत्रिमंडलीय उप समिति के विचाराधीन है। इस समिति ने अभी तक अपनी राय नहीं बनायी है। एक बारगी इनके स्थायी निवासी संबंधी अधिकार पर निर्णय ले लिया जाएगा तो इन्हें अन्य सभी संबद्ध लाभ स्वयंमेव मिलने लगेंगे।

.....2/-

इन शरणार्थियों को पुनर्वास सहायता देने की सम्भाव्यता की जांच करने के लिए, इस मंत्रालय ने जम्मू व कश्मीर सरकार से राज्य में आकर बसे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के संबंध में कतिपय सूचना मुहैया कराने का अनुरोध किया था। तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है। राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी मुहैया कराने का दुबारा अनुरोध किया गया है और यह सूचित किया गया है कि जैसे ही अपेक्षित जानकारी इस मंत्रालय में प्राप्त हो जाएगी, यह मंत्रालय 1947 के पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए पृथक रुप से पैकेज देने पर विचार करेगा।

जहां तक, अर्ध सैनिक बलों, जैसी केन्द्रीय सेवाओं में रोजगार देने का संबंध है, इस मंत्रालय ने पहले ही, वर्ष 2002 में अर्ध सैनिक बलों के प्रमुखों को जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार के अभिनिर्धारित प्राधिकारी से अधिवास-प्रमाण-पत्र होने की शर्त के बगैर जम्मू एवं कश्मीर में बसे इन पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों की भर्ती की अनुमति देने और अभ्यर्थी के गांव के संरपंच/नम्बरदार द्वारा जारी इस आशय के प्रमाण-पत्र के आधार पर भर्ती की अनुमति देने का निदेश दिया था कि वह व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी श्रेणी का है तथा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों (सीपीएमएफ) में भर्ती के लिए मतदाता सूची को पश्चिमी पाकिस्तानी प्रवासी होने का प्रमाण माना जाए।

जहां तक पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को ऋण प्रदान करने का संबंध है, इस मंत्रालय द्वारा, मामले को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम संबंधी क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने पहले ही जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड, जो राज्य में संयोजक बैंक है, को इस मामले को राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) की बैठकों में उठाने की सलाह दी है ताकि राज्य के अन्य बैंकों पर भी इस बात का दवाब बनाया जा सके कि वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र वाली इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामलों में सम्पार्श्विक प्रतिभूति की अपेक्षा से छुट प्रदान करें और इसके बदले में क्रेटिड गारंटी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) की क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत गारंटी कवर लें।